न्यायालयः अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 39/22 (176/98)

ग्राम पंचायत भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर बजरिये श्योपतराम सरपंच, ग्राम पंचायत, भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. धन्नीराम (मृतक) पुत्र हीरा दास जाति जटसिख साकिन बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर के विधिक उत्तराधिकारीगण
   1.1 गुरमेलसिंह पुत्र धन्नीराम
   1.2 हरबंसकौर पुत्री धन्नीराम
   1.3 कृपालकौर पुत्री धन्नीराम
   अकवाम जटसिख सकनाए बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मायावती पत्नी शेरसिंह
3. सरवनसिंह पुत्र शेरसिंह अकवाम जाट सकनाए वार्ड सं0 8 रायसिंहनगर।(खरीददारान)

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेश अधिनियम

उपस्थित : 1. राजकीय अधिवक्ता, स्टेट
2. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, अप्रार्थीगणसंव 2 व 3 खरीददारान

निर्णय दिनांक : 30.09.2022

उपरोक्त प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14–1–2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील क्षेत्र के राजस्व प्रकरणों की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को दिये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से जरिये पत्रांक 196 दिनांक 9–2–22 के द्वारा पत्रावली इस कार्यालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है।

संक्षेप में प्रकरण के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्रामवासी भोमपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी गुरमेलसिंह और उसके पिता दोनों पंजाब के रहने वाले हैं और दोनों का पेशा डाक्टरी है। अप्रार्थीगण द्वारा चक 48 एन पी के मु0 नं0 52 की 12–00 बीघा बारानी भूमि अलॉट करवाई है जबकि वह भूमि अलॉट करवाने का पात्र नहीं है। अप्रार्थीगण राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं। वे गॉव बड़ा तहसील मोगा पंजाब के रहने वाले हैं। अतः इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

शिकायत पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। दिनांक 12–5–22 को खरीददारान मायावती पत्नी शेरसिंह, सरवन सिंह पुत्र शेरसिंह की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करने पर बाद विधिक कार्यवाही प्रार्थना पत्र दिनांक 12–5–22 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया।

शिकायत प्रार्थना पत्र के जवाब में खरीददारान ने कथन किया है कि भोमपुरा ग्रामवासियों द्वारा चक 48 एन पी के मु0 नं0 1 व मु0 2 के संबंध में गुरमेलसिंह के विरुद्ध शिकायत पेश की थी। इसी रकबे के संबंध में पूर्व में हुकमाराम द्वारा शिकायत की गई थी जो जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 23–4–90 को इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि विवादग्रस्त रकबे के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 4–3–93 को अपील सं0 55/91 में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आवंटन आदेश दिनांक 19–3–91 को यथावत् रखते

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

Scanned with CamScanner

हुए अपील खारिज कर दी थी। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी सं0 164/93 गुरमेलसिंह के विरूद्ध पेश की गई जो दिनांक 12-11-97 को खारिज हो गई। अलॉटमैन्ट की वैधता के बारे में राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जॉच करके गुरमेलसिंह के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था इसलिए अब दुबारा धारा 11/14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में कार्यवाही नहीं चल सकती है। विवादग्रस्त रकबे की सनद जारी हो चुकी है। सनद जारी होने के बाद विवादग्रस्त रकबा खरीददारान द्वारा दिनांक 11-2-08 को खरीद लिया गया है तथा वे सद्भावी केता हो गये हैं। खातेदारी सनद मिलने के बाद रकबा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र मिथ्या होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा कि रकबा रोहड़ पायतन का है जो आवंटित नहीं हो सकता है। शिकायत में वर्णित तथ्य सत्य है। आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किया जाना चाहिये।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए कहा है कि अलॉटमैन्ट की वैधता के बारे में राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जॉच करके गुरमेलसिंह के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था इसलिए अब दुबारा धारा 11/14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में कार्यवाही नहीं चल सकती है। विवादग्रस्त रकबे की सनद जारी हो चुकी है। सनद जारी होने के बाद विवादग्रस्त रकबा खरीददारान द्वारा दिनांक 11-2-08 को खरीद लिया गया है तथा वे सद्भावी केता हो गये हैं। खातेदारी सनद मिलने के बाद रकबा धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पूर्व में शिकायतकर्ता श्री हुकमसिंह द्वारा धर्मसिंह व गुरमेलसिंह के विरूद्ध धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत की गई थी जिसमें भी चक 48 एन पी के खाता सं0 69 पर धनीराम पुत्र हीरा राम साकिन बगीचा के नाम से मु0 नं0 52 पुराना नया 1 में 2.530 है0 बारानी व पुराना मु0 नं0 5 नया 2 में 3.442 है0 कुल 5.972 है0 बारानी रकबा धनी राम के नाम से पुख्ता अलॉट उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 10-12-86 को किया गया है, (धनीराम अप्रार्थी गुरमेलसिंह का पिता है) जिसका प्रकरण जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के न्यायालय में कम सं0 104/07 दर्ज हुआ, जिसमें तत्कालिन जिला कलक्टर, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 23-4-90 को यह आदेश पारित किया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आवंटन आदेश दिनांक 10-12-86 को राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में चुनौति दी हुई है इसलिए इस न्यायालय द्वारा किसी आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 11/14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम का खारिज कर दिया गया था।

हस्तगत शिकायत जो ग्राम पंचायत भोमपुरा जरिये सरपंच प्रस्तुत की गई है, शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि चक 48 एन पी तह0 रायसिंहनगर के मु0 नं0 52,53 की 23 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 धनीराम को पुख्ता आवंटन आदेश दिनांक 10-12-86 के बिन्दू को चुनौति दी गई है। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा अपील प्रकरण सं0 181/87 दायर किया गया। अपीलीय निर्णय दिनांक 4-3-93 द्वारा अपील में वर्णित बिन्दुओं पर विस्तार से विवेचन किया जाकर आदेश पारित किया गया कि अपीलकृत आवंटन आदेश दिनांक 10-12-86 के जरिये अप्रार्थी सं0 1 धनीराम को भूमि का आवंटन नियमानुसार, पूर्ण जॉच प्रकिया अपनाने के पश्चात्, पात्रता की जॉच करते हुए किया जाना पाया गया है। उक्त आधार पर अपीलकृत आदेश में संशोधन करना उचित न मानते हुए ग्राम पंचायत, भोमपुरा की अपील खारिज कर दी गई।

ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 4-3-93 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी/एल.आर./सं0 163/93 दायर की गई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

12–11–97 से राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 4–3–93 को यथावत् रखते हुए ग्राम पंचायत भोमपुरा की निगरानी खारिज कर दी गई।

इस प्रकार, माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 4–3–93 एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 12–11–97 के परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का आवंटन आदेश 10–12–86 बहाल रहा है।

उक्त भूमि की खातेदारी सनद दिनांक 17–4–90 एवं 26–4–91 को जिला कलक्टर महोदय द्वारा जारी की जा चुकी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि हो चुकी है। खातेदारी अधिकार मिल जाने के उपरांत जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अप्रार्थी धनीराम के विधिक उतराधिकारियों द्वारा चक 48 एन पी क खाता सं0 नया 26 में0 मु0 नं0 1 में 2.286 है0 एवं मु0 नं0 2 में 1.452 है0 कुल 3.738 है0 एवं खाता सं0 नया 14 में मु0 नं0 2 में 1.990 है0 कुल दोनों खातों में 5.728 है0 बारानी भूमि को जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 7–1–2008 एवं मु0 नं0 2 प0 सं0 234/320 के के0 नं0 1–10–11 की .759 है0 बारानी भूमि का विक्रय श्री मती मायावती पत्नी श्री शेरसिंह को दिनांक 11–2–2008 को कर दिया गया। श्रीमतीमायावती पत्नी श्री शेरसिंह द्वारा दिनांक 3–9–15 को उपरोक्त समस्त भूमि अपने पुत्र श्रवणकुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी 48 एन पी हाल निवासी वार्ड सं0 8 रायसिंहनगर को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से दे दी है।

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा किये गये पुख्ता आवंटन आदेश दिनांक 10–12–86 की पुष्टि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 4–3–93 एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 12–11–97 से हो जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का आवंटन आदेश 10–12–86 बहाल रहा है तथा शिकायत में वर्णित भूमि की खातेदारी सनद विधिवत् रूप से जिला कलक्टर महोदय द्वारा जारी हो जाने के पश्चात् भूमि का विधिमान्य तरीके से विक्रय किया गया है। खातेदारी अधिकार मिलने के उपरांत विक्रय की गई भूमि का आवंटन निरस्त करने के कानूनी प्रावधान नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 11/14 का प्रार्थना पत्र पूर्व में तत्कालिन जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 23–4–90 को खारिज किया जा चुका है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30–9–22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner